प्रतिवेद्य

भारत की सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार

दीवानी अपील संख्या 9300/2019

(एसएलपी (सी) सं. 10542 वर्ष 2019 से उद्भूत)

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य .....अपीलकर्तागण

बनाम

सुदर्शन चटर्जी .....प्रत्यर्थी

सह

दीवानी अपील सं. 9301/2019

(एसएलपी (सी) सं. 10542 वर्ष 2019 से उद्भूत)

निर्णय

न्यायमूर्ति आर. भानुमति

अनुमति अनुदत्त।

2. एसएलपी(सी) सं. 10087 वर्ष 2019 से उद्भूत यह अपील रिट-ए सं. 65084/2015 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 24.08.2018 के विरूद्ध अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गयी है जिसमें उच्च

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा पारित दिनांक 01.04.2015 के आदेश जिसमें प्रत्यर्थी को छत्तीसगढ़ चिकित्सा विज्ञान संस्थान की सेवा में शामिल होने के कारण सेवानिवृत्त लाभ देने से इंकार किया गया था, को रद्द कर दिया है और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोंण के प्रकाश में कानून के अनुसार नया आदेश पारित करने के लिए निर्देशित किया। एसएलपी(सी) सं. 10542/2019 से उद्भूत यह अपील रिट-ए सं. 3884/2019 में पारित अंतरिम आदेश दिनांकित 15.03.2019 के विरूद्ध दायर की गयी है जिसके तहत उच्च न्यायालय ने चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव को व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होने और यह बताने के लिए निर्देशित किया कि उच्च न्यायालय के दिनांक 24.08.2018 के निर्णय के बावजूद दिनांक 04.01.2019 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी के दावे को कैसे खारिज कर दिया गया है।

3. मामले के बताये गये संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी को दिनांक 25.03.1982 के नियुक्ति आदेश द्वारा व्याख्याता (एनेस्थीसिया) के पद पर नियुक्त किया गया था और वह मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद में शामिल हो गई थी। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद में लेक्चरर (एनेस्थीसिया) के पद पर काम करते हुए दिनांक 20.09.2003 को प्रत्यर्थी ने छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सीआईएमएस), बिलासपुर में एसोसिएट प्रोफेसर (एनेस्थीसिया) के पद के लिए आवेदन करने के लिए अपीलकर्ताओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मांगा। सीआईएमएस में उसके आवेदन के अनुसरण में, प्रत्यर्थी को सीआईएमएस से दिनांक 22.04.2004 को नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। सीआईएमएस में नियुक्त होने पर, प्रत्यर्थी ने सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग को संबोधित दिनांक 30.04.2004 को छुट्टी का आवेदन भेजा, जिसमें सीआईएमएस में एनेस्थीसिया विभाग में रीडर के पद पर शामिल होने के लिए बिना भुगतान दो साल के लिए छुट्टी की मंजूरी की मांग की गई। हालांकि उसका अवकाश आवेदन विचाराधीन था, प्रत्यर्थी दिनांक 15.06.2004 को एनेस्थीसिया विभाग में व्याख्याता के रूप में शामिल हो

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

गया। प्रत्यर्थी ने "व्यक्तिगत कार्य" का कारण बताकर दिनांक 23.07.2004 को अर्जित अवकाश के अनुदान के लिए एक और आवेदन किया। उक्त आवेदन पर विचार किया गया और दिनांक 07.08.2004 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी को दिनांक 23.07.2004 से 22.08.2004 तक अर्जित अवकाश प्रदान करके छुट्टी मंजूर की गई। प्रत्यर्थी दिनांक 22.08.2004 तक अपीलकर्ताओं की सेवा में रही; उसके बाद उसने अपीलकर्ताओं के साथ ड्यूटी फिर से शुरू नहीं की है। यह कहा गया है कि प्रत्यर्थी दो राज्य सरकारों यानी उत्तर प्रदेश राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य - सीआईएमएस से वेतन प्राप्त कर रही थी।

4. प्रत्यर्थी ने फिर से दिनांक 01.02.2005 को एक अवकाश प्रार्थना पत्र भेजा, जिसमें सेवानिवृत्ति से पहले दिनांक 23.07.2004 से सेवानिवृत्ति की तारीख अर्थात् 30.09.2006 तक (26 महीने 7 दिन) अवकाश की मंजूरी प्रदान करने की मांग की गई। प्रत्यर्थी ने अवकाश अवधि के दौरान सीआईएमएस में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम करने की अनुमति भी मांगी और इस संबंध में भत्ता देने की भी मांग की। दिनांक 02.01.2006 को, प्रत्यर्थी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करते हुए एक आवेदन भेजा।

प्रत्यर्थी के अनुसार, उसके किसी भी आवेदन का अपीलकर्ताओं द्वारा जवाब नहीं दिया गया था।

5. सीआईएमएस से सेवानिवृत्त होने के बाद, दिनांक 2.11.2012 को प्रत्यर्थी ने सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को सेवानिवृत्ति (अर्थात् 30.09.2006) पर देय उपदान, पेंशन और नकदीकरण के संदाय की मांग करते हुए एक पत्र भेजा। इस पत्र में प्रत्यर्थी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि उसने उचित तरीके के माध्यम से सीआईएमएस में रीडर के पद के लिए आवेदन किया था और सरकार/अपीलकर्ता से एनओसी के लिए भी आवेदन किया था। प्रत्यर्थी के अनुसार, उसने बार-बार एनओसी के लिए आवेदन किया। जैसा कि कोई

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्रतिक्रिया नहीं मिली, प्रत्यर्थी के पास उ.प्र. चिकित्सा सेवा को छोड़ने और जून, 2004 में सीआईएमएस की सेवाओं में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

6. अपीलकर्ताओं ने दिनांक 01.04.2015 के जबाब द्वारा प्रत्यर्थी के अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि प्रत्यर्थी ने सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन/एनओसी प्राप्त किए बिना और उसे छुट्टी मंजूर प्राप्त किए बिना सीआईएमएस में पद स्वीकार कर लिया। बिना छुट्टी मंजूर हुए अन्य जगह पर उसके काम करने के दृष्टिगत और अवकाश की भूतलक्षी मंजूरी और अन्य जगह कार्य करने के अनुमोदन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, प्रत्यर्थी का अनुरोध स्वीकार्य होना नहीं पाया गया।

7. व्यथित होने के कारण, प्रतिवादी ने रिट ए संख्या 65084/2015 दायर किया, जिसमें दिनांक 01.04.2015 के आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की रिट जारी करने की मांग की गई और साथ ही अपीलकर्ताओं को प्रत्यर्थी के सभी सेवानिवृत्त लाभ बकाया सहित और ब्याज को भी मंजूरी देने और भुगतान करने का निर्देश देने के लिए परमादेश की रिट जारी करने की मांग भी की गयी।

8. जब उक्त रिट याचिका लंबित थी, तो अपीलकर्ताओं ने दिनांक 16.02.2016 के आदेश द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान की मांग करने वाले प्रत्यर्थी के आवेदन को खारिज कर दिया। उक्त आदेश में, अपीलकर्ताओं ने अवलोकन किया कि राज्य सरकार से अनुमोदन के बिना प्रत्यर्थी ने उत्तर प्रदेश राज्य में सेवाएं छोड़ कर छत्तीसगढ़ राज्य -सीआईएमएस में अन्य सेवा में शामिल हो गयी। अपीलकर्ताओं ने अवधारित किया कि अन्य सेवा में शामिल होने के बाद, प्रत्यर्थी अब उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा में नहीं रहा और नियमों के अनुसार, प्रत्यर्थी को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

9. प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका रिट ए संख्या 65084/2015 को उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.08.2018 के आक्षेपित निर्णय द्वारा अनुमति दी थी। उच्च न्यायालय ने अवलोकन किया कि वित्तीय पुस्तिका के मौलिक नियमों के नियम 73 में वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए कोई प्रयोज्यता नहीं है। उच्च न्यायालय ने मत दिया कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां प्रत्यर्थी बिना छुट्टी के अनुपस्थित रही हो या अपने अवकाश से अधिक रही थी और प्रत्यर्थी ने लगातार अपना अवकाश आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें सीआईएमएस में शामिल होने के लिए छुट्टी देने की अनुमति देने का अनुरोध किया था और जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो प्रत्यर्थी ने बिना वेतन अवकाश के लिए आवेदन किया और उसने वास्तव में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी और इस पर भी अपीलकर्ताओं द्वारा कभी विचार नहीं किया गया। यह इंगित करते हुए कि प्रत्यर्थी 2004 से अपनी छुट्टी के आवेदन प्रस्तुत कर रही थी, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में प्रत्यर्थी की सेवाओं को पेंशन/अनुमानित पेंशन के उद्देश्य से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था और इन निष्कर्षों पर उच्च न्यायालय ने दिनांक 01.04.2015 के आदेश को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने इस मामले को उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग को फिर से प्रत्यर्थी के मामले की जांच करने और कानून के अनुसार नए आदेश पारित करने के लिए भेज दिया। हालांकि उच्च न्यायालय ने राज्य को कानून के अनुसार प्रत्यर्थी के मामले की जांच करने का निर्देश दिया है, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रत्यर्थी के मामले का परीक्षण उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांकित 24.08.2018 में दिए गए अवलोकनों के प्रकाश में होनी चाहिए।

10. दिनांक 24.08.2018 के निर्णय से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी (सी) सं. 10087/2019 से उद्भूत अपील दायर की, जिसमें कहा गया कि आक्षेपित निर्णय का यह निष्कर्ष प्रत्यक्ष त्रुटि से ग्रस्त है कि प्रत्यर्थी अपीलकर्ता -उ.प्र. राज्य से सेवानिवृत्त बकाया का हकदार है, जबकि वास्तव में, प्रत्यर्थी सीआईएमएस की सेवा में

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

शामिल हो गया था और वहां पदोन्नत हो गया और अंततः सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया। अपीलार्थी -राज्य के अनुसार, प्रत्यर्थी दिनांक 22.08.2004 के बाद अपीलार्थी-राज्य के साथ अपनी सेवा फिर से शुरू करने के लिए कभी वापस नहीं लौटा (जिस तिथी तक, अपीलकर्ताओं द्वारा उसकी छुट्टी मंजूर की गई थी) और उसके बाद भी, वह दिनांक 15.06.2004 को छत्तीसगढ़ राज्य-सीआईएमएस की सेवा में शामिल हो गई थी। मौलिक नियम 67-68 के अनुसार, जैसा कि अपीलकर्ता-राज्य के कर्मचारियों पर लागू होता है, छुट्टी का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और प्रत्यर्थी का मामला 'उसकी सेवा का परित्याग' है और ऐसी स्थिति में, उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का हकदार बनने का कोई सवाल ही नहीं है। अपीलार्थी का तर्क है कि उच्च न्यायालय ने यह अवधारित करते हुए गलती की है कि इस आशय का अपना आवेदन प्रस्तुत करने मात्र से प्रत्यर्थी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का हकदार है उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम अचल सिंह (2018) 17 एससीसी 578 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि उत्तर प्रदेश राज्य में लागू नियम 56 के तहत, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर स्वचालित रूप से लागू नहीं होती है। यह माना गया कि नियम के तहत नियुक्ति प्राधिकारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए नोटिस स्वीकार करना होगा या इसे अनुज्ञेय आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है।

11. एसएलपी(सी) सं. 10087/2019 को दिनांक 05.04.2019 को 134 दिनों के विलम्ब से दायर किया गया था। रिट ए सं. 65084/2018 में उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय दिनांकित 24.08.2018 को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता-राज्य द्वारा एसएलपी दायर किए जाने से पहले ही, प्रत्यर्थी ने अवमानना आवेदन (दीवानी) संख्या 6822/2018 में उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांकित 24.08.2018 की जानबूझकर अवज्ञा का आरोप लगाते हुए अवमानना कार्यवाही शुरू कर दी थी। उच्च न्यायालय ने अवमानना याचिका पर विचार किया और अवमानना कार्यवाही

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

के दृष्टिगत, अपीलकर्ताओं ने दिनांक 04.01.2019 का आदेश पारित किया जिसके तहत प्रत्यर्थी के दावे को नए सिरे से विचार किया गया और इसे सकारण आदेश पारित करके अस्वीकार कर दिया गया। अवमानना याचिका उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2019 के आदेश द्वारा यह अवधारित करते हुए खारिज कर दी गयी कि चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव द्वारा पारित दिनांक 04.01.2019 के आदेश ने कार्रवाई के एक नए कारण को जन्म दिया है और यह कि 'दिनांक 24.08.2018 के आदेश में निहित निर्देश को दिनांक 04.01.2019 के पारित आदेश पर प्रभाव दिया गया है' और तदनुसार, अवमानना कार्यवाही को बंद कर दिया।

12. दिनांक 04.01.2019 के आदेश को चुनौती देते हुए प्रत्यर्थी ने रिट ए. सं. 3884/2019 को दायर किया। उक्त रिट याचिका में उच्च न्यायालय ने दिनांक 15.03.2019 को आदेश पारित किया, जिसमें उच्च न्यायालय ने अवलोकन किया कि दिनांक 04.01.2019 के आदेश को पारित नहीं किया जा सकता था क्योंकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को अस्वीकार करने के आदेश पहले ही पक्षकारों के मध्य रिट ए सं. 65084/ 2015 में निर्णय के संदर्भ में रद्द हो गए थे। व्यथित होने के कारण, अपीलकर्ताओं ने दिनांक 20.04.2019 को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी(सी) सं. 10542/2019 से उद्भूत अपील दायर की है।

13. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री ऐश्वर्या भाटी ने प्रस्तुत किया कि जब रिट ए. सं. 65084/2015 में उच्च न्यायालय ने प्राधिकारियों को प्रत्यर्थी के मामले पर नये तरीके से और कानून के अनुसार विचार करने का निर्देश दिया था, दिनांक 04.01.2019 का आदेश कानून के अनुसार पारित किया गया था, उच्च न्यायालय ने प्रधान सचिव को उपस्थित होने और यह बताने का निर्देश देने में सही नहीं था कि अपीलकर्ता प्रत्यर्थी के दावे को अस्वीकार करने के लिए कैसे आगे बढ़े, जो पहले से ही रिट ए सं. 65084/2015 में पक्षकारों के मध्य दिए गए निर्णय के संदर्भ में रद्द कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

गया कि व्यक्तिगत उपस्थिति को निर्देशित करने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत है, जैसा कि श्री एन. के. जानु, उप निदेशक, समाज कल्याण वन प्रभाग, आगरा और अन्य बनाम लक्ष्मी चंद्र 2019 (6) स्केल 236 में अवधारित किया गया था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ अवधारित किया कि अधिकारियों को अदालत में बुलाने की प्रथा उचित नहीं है और न्याय के प्रशासन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है। विभिन्न अवकाश आवेदनों और अपीलकर्ताओं द्वारा पारित आदेश पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए, विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 22.04.2004 को सीआईएमएस से जारी नियुक्ति पत्र के अनुसरण में प्रत्यर्थी जून , 2004 में ही सीआईएमएस में शामिल हो गया था। विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी के आचरण की अनदेखी करने में गलती की और यह धारण करने में सही नहीं था कि प्रत्यर्थी के मात्र उसके आवेदन प्रस्तुत के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की हकदार है। अंत में, यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी का सम्पूर्ण आचरण तथ्यों को गुमराह करने और गलत तरीके से पेश करने के लिए किया गया है और अपीलकर्ताओं को प्रस्तुत उसके आवेदनों में, उसके सीआईएमएस में सेवा में शामिल होने के बाद भी, वह जानबूझकर खुद को 'एसोसिएट प्रोफेसर, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद' के रूप में प्रतिनिधित्व कर रही थी, जो उसने पूरी तरह से यह धारणा देने के लिए किया था कि वह अभी भी इलाहाबाद में सेवा में थी।

14. श्री कुरीकोस वर्गीज, प्रत्यर्थी के विद्वत अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी की आयु 65 वर्ष है और अपीलार्थी-राज्य के साथ पूरे 22 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद, उसकी वृद्धावस्था के कारण, वह छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित होना चाहती थी जहाँ वह अपनी बेटी के साथ रह सकती थी और सीआईएमएस में काम करती और अपीलकर्ताओं से सीआईएमएस में सेवा में शामिल होने की अनुमति के लिए कई आवेदनों , पत्रों और अभ्यावेदनों के बावजूद, प्रत्यर्थी अपीलकर्ताओं से अनुमति प्राप्त नहीं कर सका। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अवकाश आवेदनों पर हमारा ध्यान

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

आकर्षित करते हुए, विद्वत अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि प्रत्यर्थी को प्राधिकारियों से कोई जवाब नहीं मिला है , इसलिए उसके पास दिनांक 15.06.2004 को संस्थान-सीआईएमएस, बिलासपुर की सेवाओं में शामिल होने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। विद्वत अधिवक्ता ने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं ने दिनांक 15.12.2005 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी को दिनांक 30.09.2006 के प्रभाव से सेवानिवृत्त कर दिया है, जो अभी भी वैध है और अपीलकर्ताओं को यह तर्क देते हुए प्रत्यर्थी की सेवा के बारे में एक विपरीत दृष्टिकोण लेने से रोक दिया गया है कि प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ताओं की सेवा को छोड़ दिया है। विद्वत अधिवक्ता ने आगे कहा कि सीआईएमएस में नियमित पेंशन योजना 2004 से कार्य करना बंद है और दिनांक 01.01.2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाला कोई भी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का हकदार नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि प्रत्यर्थी के पास उसके खाते में छुट्टी थी और यह "अनुपस्थिति" या "अधिक रूकने" का मामला नहीं है, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को सभी सेवानिवृत्त लाभों को मंजूर करने और उनका संदाय करने का सही निर्देश दिया था और आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

15. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर रखी गयी सामग्री और आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया है।

16. उच्च न्यायालय ने, उचित सम्मान के साथ, हमारे विचार में, यह ध्यान नहीं रखा कि भले ही प्रत्यर्थी की छुट्टी का आवेदन दिनांकित 30.04.2004 विचाराधीन था, प्रत्यर्थी स्वंय गयी और दिनांक 15.06.2004 को सीआईएमएस में शामिल हो गयी और इसे प्रत्यर्थी द्वारा छुपा लिया गया है। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सीआईएमएस में शामिल होने और सीआईएमएस में काम करने के बाद, प्रत्यर्थी ने दिनांक 23.07.2004 को "व्यक्तिगत काम" का हवाला देते हुए अर्जित अवकाश के अनुदान के लिए एक और आवेदन किया। यह आवेदन दिनांक 07.08.2004 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी को दिनांक 23.07.2004 से

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

22.08.2004 तक अर्जित अवकाश प्रदान करके स्वीकृत किया गया था। इस तरीके से, प्रत्यर्थी दो राज्य सरकारों यानी उत्तर प्रदेश राज्य और छत्तीसगढ़-सीएमएस की सेवा में रहा और उस पर आरोप है कि उसने जून 2004 से अक्टूबर 2004 की अवधि के लिए दोनों राज्य सरकारों से वेतन निकाला है। उच्च न्यायालय ने, हमारे विचार में, प्रतिवादी के आचरण को ध्यान में नहीं रखा। उच्च न्यायालय का केवल इस आधार पर आगे बढ़ना प्रतीत होता है कि प्रतिवादी द्वारा दायर अवकाश आवेदनों पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।

17. जैसा भी हो, रिट ए. सं. 65084/2015 में, हालांकि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कानून के अनुसार नए आदेश पारित करने का निर्देश दिया, जबकि राज्य सरकार को कानून के अनुसार नए आदेश पारित करने का निर्देश देते हुए, उच्च न्यायालय, हमारे विचार में, यह कहकर अपीलकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाने में सही नहीं था कि उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में नए आदेश पारित किए जाएंगे। इस मामले के मद्देनजर, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और अपास्त किए जाने योग्य है।

18. रिट ए सं. 65084/2015 का निपटारा करते हुए, उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव (चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग), उ. प्र. सरकार को प्रत्यर्थी के मामले की जांच करने और कानून के अनुसार नए आदेश पारित करने का निर्देश दिया। तदनुसार, प्रमुख सचिव ने दिनांक 04.01.2019 को आदेश पारित किया है, जिसके तहत प्रत्यर्थी के दावे पर नए सिरे से विचार किया गया था और इसे सकारण आदेश पारित करके अस्वीकार कर दिया गया था। प्रत्यर्थी ने दिनांक 04.01.2019 के आदेश को चुनौती देते हुए रिट-ए सं. 3884/2019 दायर किया। प्रत्यर्थी की उक्त रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिनांक 15.03.2019 के आक्षेपित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने अवलोकन किया कि दिनांक 04.01.2019 के आदेश को पारित नहीं किया जा सकता था चूँकि दिनांक 01.04.2015 के आदेश को उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष द्वारा पहले ही रद्द कर दिया गया था कि

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्रत्यर्थी पेंशन के लिए और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद से सीआईएमएस में उसके शामिल होने के समय तक ऐसे अवकाश के सापेक्ष जो उसके खाते में उपलब्ध हो, उसकी अनुपस्थिति की अवधि के समायोजन के लिए और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए हकदार है। उच्च न्यायालय ने देखा है कि दिनांक 24.08.2018 के अपने पहले के आदेश के आलोक में, दिनांक 04.01.2019 के आदेश को पारित नहीं किया जा सकता था और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग) को अदालत के समक्ष पेश होने और बताने का निर्देश नहीं दिया जा सकता था।

19. उच्च न्यायालय, हमारे विचार में, प्रधान सचिव को अदालत में उपस्थित होने और दिनांक 04.01.2019 के आदेश को पारित करने का कारण बताने का निर्देश देने के लिए सही नहीं था। यह देखते हुए कि केवल इसलिए कि अधिकारी द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, यह अदालत में अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति और अधिकारियों को अदालत में बुलाने का अधिकार नहीं देता है और अंततः बड़े स्तर पर लोक को प्रभावित करता है, श्री एन. के. जानू, उप निदेशक सामाजिक वन प्रभाग, आगरा और अन्य बनाम लक्ष्मी चंद्र 2019 (6) स्केल 236 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया: -

> "22. ऐसा कहने के बाद, हम पाते हैं कि अधिकारियों की उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए समय-समय पर आदेश पारित करने में उच्च न्यायालय उचित नहीं था। राज्य के अधिकारी सार्वजनिक कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। आदेशों को आमतौर पर अच्छे विश्वास में पारित किए जाने की उपधारणा की जाती है जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए। अधिकारी सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में आदेश पारित करते हैं। इसलिए, केवल इसलिए कि एक आदेश पारित किया गया है, यह उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति को वारंट नहीं करता है। कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकारियों को अदालत में बुलाने, अधिकारियों के कामकाज पर गलत प्रभाव डालता है और अंततः यह बड़े पैमाने पर जनता है जो उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों से उनकी अनुपस्थिति के कारण पीड़ित है। अधिकारियों को अदालत में बुलाने का अभ्यास उचित नहीं है और कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के पृथक्करण के मद्देनजर न्याय के प्रशासन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। यदि कोई आदेश

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

विधिक नहीं है, तो न्यायालयों के पास इस तरह के आदेश को अपास्त करने और इस तरह के निर्देश जारी करने का पर्याप्त अधिकार क्षेत्र है जो मामले के तथ्यों में आवश्यक हो सकते है।"

उपरोक्त अवलोकन प्रस्तुत मामले में प्रत्यक्ष लागू होता है। जब रिट-ए. सं. 65084/2015 में प्रमुख सचिव को कानून के अनुसार आदेश पारित करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया गया था, तो प्रमुख सचिव ने इस मामले पर नए सिरे से विचार किया और दिनांक 04.01.2019 का सकारण आदेश पारित किया। केवल इसलिए कि प्रधान सचिव ने उक्त आदेश पारित किया है, उच्च न्यायालय, हमारे विचार में, न्यायालय में प्रधान सचिव की उपस्थिति और दिनांक 04.01.2019 का उक्त आदेश पारित करने के कारणों को समझाने के लिए निर्देश देने में सही नहीं था। रिट ए . संख्या 3884/2019 में पारित दिनांक 15.03.2019 का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है और एसएलपी(सी) सं. 10542/2019 से उद्भूत अपील अनुमत की जाती है।

20. परिणामस्वरूप रिट-ए सं. 65084/2015 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 24.08.2018 के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है और एसएलपी(सी) सं. 10087/2019 से उद्भूत अपील अनुमत की जाती है। रिट-ए सं. 3884/2019 में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग) की उपस्थिति का निर्देश देते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 15.03.2019 का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है और एसएलपी(सी) से उत्पन्न अपील सं. 10542/2019 की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय रिट-ए. सं. 3884/2019 को सुनेगा और दोनों पक्षों को पर्याप्त अवसर देगा और रिट-ए सं. 65084/2015 में उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए किसी भी निष्कर्ष से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार मामले को आगे बढ़ाएगा। पक्षकार अपने-अपने खर्चें वहन करेंगें।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

.....

[न्यायमूर्ति आर. भानुमति]

.....

[न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना]

नई दिल्ली;

10 दिसम्बर 2019

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।